रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240414
CG-DL-E-18112022-240414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944
No. 287] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

विषय : मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''कॉपर ट्यूब्स एवं पाइप्स'' के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांच में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 04/10/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 जनवरी, 2022 में संशोधन ।

फा. सं. 04/10/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (जिसे यहां ''अधिनियम'' कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के संबंध में ;

क. पृष्ठभूमि

व्यापार उपचार महानिदेशालय (''प्राधिकरण'') ने मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''कॉपर ट्यूब्स एवं पाइप्स'' के आयातों के संबंध में एक प्रतिकारी शुल्क जांच आयोजित की थी और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 04/10/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 जनवरी, 2022 (''अंतिम जांच परिणाम'') के अनुसार निश्चयात्मक प्रतिकारी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी। सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 2/2022 सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 28 अप्रैल, 2022 (''सीमा शुल्क अधिसूचना'') के अनुसार प्रतिकारी शुल्क लागू किए गए थे।

ख. प्रक्रिया

2. व्यापार सूचना सं. 12/2018 दिनांक 17.09.2018 के अनुसरण में केएमसीटी (थाईलैंड), कं. लि० (जिसे यहां "आवेदक" कहा गया है) से एक संशोधन संबंधी अनुरोध प्राप्त किया गया था। आवेदक ने अंतिम जांच परिणामों और परिणामस्वरूप शुल्क तालिका में, जैसा कि सीमा शुल्क अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है, कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कं. लि० का नाम बदल कर केएमसीटी (थाईलैंड), कं. लि० करने का अनुरोध किया है।

3. प्राधिकारी ने नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध की जांच की है और मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर ट्यूब्स एवं पाइप्स" के आयातों के संबंध में मूल प्रतिकारी शुल्क जांच के संबंधित हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों की मांग की है।

4. प्राधिकारी ने दिनांक 21 सितंबर, 2022 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आमंत्रित किया गया था। प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई टिप्पणियों पर इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

ग. अनुरोध

आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

5. व्यापार सूचना सं. 12/2018 के संदर्भ में, आवेदक ने प्राधिकारी को सूचित किया है कि उसने अपना नाम कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कं. लि० से बदल कर केएमसीटी (थाईलैंड), कं. लि० कर लिया है। आवेदक ने आगे प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों में इसके नए नाम अर्थात केएमसीटी (थाईलैंड), कं. लि० का उल्लेख किए जाने का अनुरोध किया है।

6. आवेदक के नाम में इसलिए परिवर्तन किया गया, क्योंकि उच्च स्तरीय कंपनियों के पुनर्गठन के कारण नियंत्रक कंपनी ने अपना नाम कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (जापान) से परिवर्तित कर केएमसीटी कार्पोरेशन कर लिया है, इसलिए आवेदक का नाम भी कोबेल्को एंड मैटीरियल कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कंपनी लि० से परिवर्तित हो कर केएमसीटी (थाईलैंड), कं. लि० हो गया था। आवेदक का नया नाम पूर्ववर्ती नाम का संक्षिप्तिकरण है।

7. इसके अतिरिक्त, नाम का परिवर्तन केवल "रिकार्ड" का मामला है। आवेदक ने व्यापार सूचना के अनुसार नाम परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित को प्रस्तुत किया है:-

   क. संबद्ध वस्तुओं की विनिर्माण प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

   ख. कंपनी के प्रबंधन और प्रचालनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

   ग. केएमसीटी (थाईलैंड) कं., लि० से भारत में संबद्ध वस्तुओं के वही आयातक बना रहेगा (रहेंगे) जो कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कं. लि० के लिए थे।

   घ. उत्पादक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए सब्सिडी मार्जिन अपरिवर्तित बना रहेगा।

   ड. कीमतें, जिन पर भारत को केएमसीटी (थाईलैंड) कं., लि० द्वारा संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा, कोबेल्को एंड मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कं. लि० द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं की कीमत के समान कीमत होगी।

   च. धारक कंपनी केएमसीटी (थाईलैंड) कं., लि० में 99.999 प्रतिशत शेयरों की धारक बनी रहेगी।

8. आवेदक ने कानून के अनुसरण में, आवेदक के प्रामाणिक दावों को स्थापित करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों सहित एक पूर्ण आवेदन विधिवत दायर किया है। व्यापार सूचना सं. 12/2018 के संदर्भ में आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज दायर किए गए हैं:-

   i. शेयर हस्तांतरण समझौता

   ii. संस्था का ज्ञापन

   iii. वित्तीय विवरण

iv. शेयर सर्टीफिकेट्स

v. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, थाईलैंड सरकार द्वारा जारी किया गया कंपनी सर्टीफिकेट

vi इसके रिकार्ड में संशोधित नाम को दर्शाने वाला थाई सीमा शुल्क दस्तावेज

9. भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि ने वर्तमान कार्रवाई में बिना किसी प्राधिकार के अनुरोध दायर किए हैं। मूल जांच के किसी भी उत्पादक या आवेदक ने वर्तमान कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए और उनकी ओर से निवेदन दायर करने के लिए किसी विधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत नहीं किया है। उचित प्राधिकार के बिना दायर किए गए अनुरोधों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

10. "भारतीय उद्योग" की ओर से दायर किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिकारी शुल्क नियमावली "भारतीय उद्योग" को एक "हितबद्ध पक्षकार" के रूप में मान्यता नहीं देती। इसके बजाय, भारतीय उत्पादक और भारतीय उत्पादक संघ हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पात्र हैं।

11. आवेदन को दायर करने के स्तर पर आवेदक की ओर से प्राधिकार पत्र दायर किया गया है और इसे प्रतिभागियों को परिचालित किया गया है।

12. नाम परिवर्तन आवेदन के लिए आंशिक मध्यवर्ती समीक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसे उत्पादन सुविधा, निर्माण प्रक्रिया, अंतिम प्रयोग, ग्राहक आधार, कंपनी का प्रबंधन ।

13. आवेदक ने व्यापार सूचना सं. 12/2018 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर अपने नाम परिवर्तन के बारे में सूचित किया है।

<u>भारतीय उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

14. भारतीय उद्योग को परिचालित आवेदन का अगोपनीय पाठ अपूर्ण है क्योंकि इसमें आवेदक द्वारा स्वीकृति अंतर्निहित नहीं है जो इसके विधिक परामर्शदाताओं को उक्त आवेदन दायर करने में सक्षम बना सके।

15. प्राधिकारी को नाम परिवर्तन अनुरोध के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि, नाम का परिवर्तन उत्पादन, बिक्रियों, लागतों, कीमतों, बाजारों, कारोबार निर्णयों आदि को प्रभावित करता है तो हम प्राधिकारी से वर्तमान आवेदन को सिर्फ नाम के परिवर्तन के रूप में स्वीकार न करने का और इसे एक ऐसे मामले के रूप में मानने का अनुरोध करते हैं जिसे एक मध्यवर्ती समीक्षा की जरूरत है।

16. आवेदक व्यापार सूचना सं. 12/2018 दिनांक 17 सितंबर, 2018 के पैराग्राफ 7 पर निर्धारित की गई समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहा है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच एवं सिफारिश

17. आवेदक और अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। आवेदक द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों से, यह नोट किया गया है कि मूल जांच के पश्चात उत्पादन सुविधा, विनिर्माण प्रक्रिया, अंतिम प्रयोग, ग्राहक आधार, कंपनी के प्रबंधन जैसे कारकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी संगत दस्तावेजों के साथ आवेदन व्यापार सूचना सं. 12/2018 दिनांक 17 सितंबर, 2018 के अनुसार दायर किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने व्यापार सूचना सं. 12/2018 दिनांक 17 सितंबर, 2018 के पैराग्राफ 7 में निर्धारित की गई समय-सीमा का अनुपालन किया है।

18. प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई भी आयोजित की है और हितबद्ध पक्षकारों को अवसर उपलब्ध कराया था।

19. अनुरोधों के मूल्यांकन के बाद, यह नोट किया गया कि आवेदक के नाम में इसलिए परिवर्तन किया गया था क्योंकि उच्च स्तरीय कंपनियों के पुनर्गठन के कारण धारक कंपनी ने अपना नाम कोबेल्को एवं मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स लि० (जापान) से बदल कर केएमसीटी कार्पोरेशन कर लिया था। आवेदक का नया नाम पूर्ववर्ती नाम का संक्षिप्तिकरण है।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुरोध व्यापार सूचना सं. 12/2018 दिनांक 17 सितंबर, 2018 में निर्धारित शर्तों के दायरे के भीतर शामिल है क्योंकि आवेदक ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर नाम परिवर्तन के बारे में प्राधिकारी को अधिसूचित किया है। अनुरोध उक्त व्यापार नोटिस के दायरे के भीतर आता है।

21. इसलिए, प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम संख्या 04/10/2020-डीजीटीआर दिनांक 31 जनवरी, 2022 के पैराग्राफ 557 में शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन करने की सिफारिश करते हैं:-

कॉलम 6 में, क्रम संख्या 4 पर, उत्पादक अर्थात मै० कोबेल्को एवं मैटेरियल्स कॉपर ट्यूब्स (थाईलैंड) कं. लि० का नाम " केएमसीटी (थाईलैंड) कं., लि०" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 2/2022-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 28 अप्रैल, 2022 में भी अनिवार्य संशोधन किए जा सकते हैं।

23. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

Subject : Amendment to the Final Finding Notification No. 04/10/2020- DGTR dated 31st January, 2022 in countervailing duty investigation concerning imports of "Copper Tubes and pipes" originating in or exported from Malaysia, Vietnam and Thailand.

F. No. 4/10/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof;

A. BACKGROUND

The Directorate General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the "Authority") had conducted a countervailing duty investigation concerning imports of "Copper Tubes and Pipes" originating in or exported from Malaysia, Vietnam, and Thailand and recommended imposition of definitive countervailing duties *vide* final finding Notification No. 04/10/2020- DGTR dated 31st January, 2022 (hereinafter referred to as the "Final Findings"). The recommendations were accepted by the Ministry of Finance, and countervailing duties were imposed *vide* Customs Notification No. 2/2022-Customs (CVD) dated 28th April, 2022 (hereinafter referred to as the "Customs Notification").

B. PROCEDURE

2. An amendment request was received from KMCT (THAILAND) CO., LTD. (hereinafter referred to as the "Applicant") in accordance with the Trade Notice No 12/2018 dated 17.9.2018. The Applicant has requested for change of name of Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co Ltd. to KMCT (THAILAND) CO., LTD. in the final findings and consequently, in the duty table as notified by Customs Notification.

3. The Authority examined the request for name change, and sought comments from the concerned interested parties of the original countervailing duty investigation concerning import of "Copper Tubes and Pipes" originating in or exported from Malaysia, Vietnam, and Thailand.

4. The Authority conducted an oral hearing on 21st September, 2022, wherein, the domestic industry and other interested parties were also invited. The Authority comments received by the Authority have been considered in this Notification.

C. **SUBMISSIONS**

Submissions by the Applicant

5. In terms of the Trade Notice No. 12/2018, the applicant informed the Authority that it has changed its name from Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co Ltd to KMCT (THAILAND) CO., LTD. The applicant further requested the Authority to mention its new name i.e KMCT (THAILAND) CO., LTD in the final findings.

6. The name of the Applicant was changed since the holding company had changed its name from Kobelco and Materials Copper Tube Ltd (Japan) as KMCT Corporation on account of restructuring of the upper tier companies. As the name of the holding company had changed, name of the applicant was changed from Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co Ltd to KMCT (THAILAND) CO., LTD. The new name of the applicant is an abbreviation of the earlier name.

7. Further, the change of name is a matter of 'record' only. The applicant has submitted the following to substantiate name change as per the Trade Notice:

   a. There is no change in the manufacturing process of subject goods.

   b. There is no change in the management and operations of the company.

   c. The importer(s) of the subject goods in India from KMCT (THAILAND) CO., LTD. will remain the same for Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co., Ltd.

   d. There is no change in the status of the producer, thus subsidy margin remains unchanged.

   e. The price at which the subject goods will be exported by KMCT (THAILAND) CO., LTD. to India will be priced similarly as the goods exported by Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co., Ltd.

   f. Holding company continue to hold 99.999% shares in KMCT (THAILAND) CO., LTD.

8. The applicant has, in accordance with the law, duly filed a complete application along with all the required documents to establish the *bona-fide* claims of the applicant. In terms of the Trade Notice No. 12/2018, the following documents have been filed by the applicant:

   i. Share Transfer Agreement.

   ii. Memorandum of Association.

   iii. Financial Statements.

   iv. Share Certificates.

   v. Company Certificate issued Ministry of Commerce, Government of Thailand.

   vi. Thai Customs document reflecting amended name in its record.

9. Representative of the Indian Industry filed submissions without any authorization in the present proceedings. None of the producer or the applicant of the original investigation has authorized any legal representative to participate in the present proceeding and file submissions on their behalf. The submissions filed without due authorization should be rejected.

10. The submissions filed on behalf of "Indian industry" should not be considered, as the countervailing duty Rules do not recognize "Indian industry" as an "interested party". Instead, Indian producers and association of Indian producer are eligible as interested parties.

11. Authorization letter has been filed on behalf of applicant at the stage of filing the application and the same has been circulated to the participants.

12. Partial mid-term review for name change application is not required since there is no change in factors such as production facility, manufacturing process, end use, customer base, management of the company.

13. The applicant notified its name change within stipulated time as per the Trade Notice 12/2018.

Submissions by the Indian Industry

14. Non-confidential version of the application circulated to the Indian industry is incomplete as it does not contain authorization by the applicant which could enable its legal consultants to file the said application.

15. The Authority should evaluate all aspects of the name change request. In case name change impacts production, sales, costs, prices, markets, business decisions etc., we request the Authority to not accept the present application as a mere change of name and treat this as a matter which requires a mid-term review.

16. The applicant has failed to comply the timeline stipulated at paragraph 7 of the Trade Notice 12/2018 dated 17th September, 2018.

D. EXAMINATION AND RECOMMENDATION BY THE AUTHORITY

17. The submissions made by the applicant and other participants have been examined. From the documents filed by the applicant, it is noted that there is no change in factors such as production facility, manufacturing process, end use, customer base, management of the company after the original investigation. The Application has been filed as per the Trade Notice 12/2018 dated 17th September, 2018 with all relevant documents. Further, the applicant has complied with the timeline stipulated at paragraph 7 of the Trade Notice 12/2018 dated 17th September, 2018

18. The Authority has also conducted the oral hearing and provided opportunity to the interested parties.

19. After evaluation of the submissions, it is noted that the name of the applicant was changed since the holding company has changed its name from Kobelco and Materials Copper Tube Ltd (Japan) to KMCT Corporation on account of restructuring of the upper tier companies. The new name of the applicant is an abbreviation of the earlier name.

20. The Authority notes that the request is covered within the scope of the conditions prescribed in Trade Notice No 12/ 2018 dated 17th September, 2018, as the applicant has notified the Authority about the name change within the stipulated timeline. The request is covered within the scope of the said Trade Notice.

21. The Authority, therefore, recommends the following change in the duty table in paragraph 557 of Final Findings No. 04/10/2020 - DGTR dated 31st January 2022:

    At S. No. 4, in column 6, the name of the producer viz. “M/s Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co Ltd” to be substituted by “**KMCT (THAILAND) CO., LTD**”.

22. Accordingly, the Authority recommends that necessary amendment may also be carried out in Customs Notification no. 2/2022- Customs (CVD) dated 28th April 2022.

23. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.18 22:26:45 +05'30'